<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री आर0 एम0 जी0 आटोमीटर्स गैस टेक्नोलाजिस लिमिटेड, बी-30, फेस-2, नोएडा।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**048 / 13, 07.10.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री नरेश कुमार बुट्टा, प्रबन्धक कम्पनी।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री आर0 एम0 जी0 आटोमीटर्स गैस टेक्नोलाजिस लिमिटेड, बी-30, फेस-2, नोएडा द्वारा दिनांक 07.10.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा Metering Skids and Electronic Turbine Flow Meters पर, पूर्व में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत सर्वश्री रॉकविन फ्लोमीटर इंडिया (प्रा0) लि0, बी-24, साइट नम्बर-4, साहिबाबाद, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद के प्रकरण में दिनांक 21.11.2011 को दिये गये निर्णय के अनुरूप उनके प्रकरण में भी 4% की दर से करदेयता निर्धारित करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री नरेश कुमार बुट्टा, प्रबन्धक कम्पनी उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित सर्वश्री रॉकविन फ्लोमीटर इंडिया (प्रा0) लि0, बी-24, साइट नम्बर-4, साहिबाबाद, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा जिस वस्तु का उत्पादन व बिक्री किया जाता है उसी वस्तु का निर्माण व बिक्री उनकी फर्म द्वारा भी किया जाता है। सर्वश्री रॉकविन फ्लोमीटर इंडिया (प्रा0) लि0, बी-24, साइट नम्बर-4, साहिबाबाद, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद के मामले में धारा-59 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 21.11.2011 को 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। अत: उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उनकी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु-Metering Skids and Electronic Turbine Flow Meters को भी, 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित किया जाय।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर के पत्र संख्या-878, दिनांक 26.10.2013 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा Metering Skids and Electronic Turbine Flow Meters के निर्माण व बिक्री का कार्य करना स्वीकार किया गया है जिसका प्रयोग control of flow, measurement and analysis of gas and liquids हेतु होता है। व्यापारी द्वारा अपनी उत्पादित वस्तु का उपयोग प्रेशर रिड्यूशिंग एण्ड मीटरिंग स्टेशन्स, फिल्टर्स, रेग्यूलेटर्स, केश फ्लो मीटर एवं नेचुरल गैस में किया जाता है। जिसका आधार साइन्टिफिक मीजरमेन्ट का सिद्धान्त बताया गया है। व्यापारी द्वारा गत वर्षों में अपनी उत्पादित वस्तु को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-V में मानते हुए 12.5% की दर से करदेयता स्वीकार की गयी है तथा नियमानुसार कर जमा किया गया है। व्यापारी द्वारा

....2

दाखिल मासिक नक्शों में भी उत्पादित / बिक्रीत वस्तु को Gas pressure regulating metring skid दिखाया गया है। किसी भी कर अनुसूची में वर्गीकृत न होने के कारण व्यापारी द्वारा उत्पादित वस्तु पर वर्ष 2009-10 के लिए पारित मूल कर निर्धारण आदेश में मशीनरी की भाँति 12.5% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।

व्यापारी का यह कथन कि सर्वश्री रॉकविन फ्लोमीटर इंडिया (प्रा0) लि0, बी-24, साइट नम्बर-4, साहिबाबाद, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद में धारा-59 के अन्तर्गत कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्णय 100 / 11 दिनांक 21.11.2011, उनके ऊपर भी लागू होता है, उचित नहीं है। क्योंकि सर्वश्री रॉकविन फ्लोमीटर इंडिया (प्रा0) लि0, बी-24, साइट नम्बर-4, साहिबाबाद, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा अपने प्रोडक्ट के सन्दर्भ में यह उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु का प्रयोग मिसाइल, राकेट एवं पनडुब्बी इत्यादि के रिसर्च कार्य में भी प्रयोग किया जाता है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पत्र दिनांक 03.10.2011 को प्रस्तुत किया गया है। अन्त में कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य न होने के कारण स्वीकार योग्य न होना बताया गया है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि कम्पनी द्वारा Metering Skids and Electronic Turbine Flow Meters, के सम्बन्ध में कर की दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है। सर्वश्री रॉकविन फ्लोमीटर इंडिया (प्रा0) लि0, बी-24, साइट नम्बर-4, साहिबाबाद, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-100 / 11 पर, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 21.11.2011 के द्वारा ''मीटरिंग स्किड्स एण्ड इलैक्ट्रानिक टरबाइन फ्लोमीटर'' पर, साइन्टिफिक इन्स्ट्रयूमेन्ट / एपरेटस की भाँति 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। प्रश्नगत व्यापारी द्वारा जिस वस्तु के सम्बन्ध में कर की दर निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है वह वस्तु धारा-59 के अन्तर्गत उक्त निर्णय दिनांक 21.11.2011 में उल्लिखित वस्तु के ही समान है। चूँकि प्रश्नगत वस्तु पर पूर्व में कर की दर निर्धारित की जा चुकी है अत: अब पुन: कर की दर निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

द्वितीय विचारणीय बिन्दु यह है कि ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा प्रेषित आख्या में अवगत कराया गया है कि व्यापारी द्वारा 12.5% की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए कर व रिटर्न्स दाखिल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में यह प्राविधानित है कि यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, वही प्रश्न पूछा जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के

...3

मामले में कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही रिटर्न दाखिल करने से ही प्रारम्भ हो जाती है। अत: प्रार्थी द्वारा नक्शा व कर जमा करने के कारण धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रार्थना-पत्र धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा Metering Skids and Electronic Turbine Flow Meters की कर की दर निर्धारित करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है। इन वस्तुओं के सन्दर्भ में प्रार्थना-पत्र संख्या-100 / 11 सर्वश्री रॉकविन फ्लोमीटर इंडिया (प्रा0) लि0, बी-24, साइट नम्बर-4, साहिबाबाद, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद के मामले में धारा-59 के निर्णय दिनांक 21.11.2011 द्वारा करदेयता की स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष मासिक रिटर्न्स एवं कर जमा किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के आलोक में कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन है तथा प्रश्नगत वस्तु के सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 21.11.2011 को निर्णय धारा-59 के अन्तर्गत पारित किया जा चुका है। अत: धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 29 नवम्बर, 2013

ह0 / 29.11.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।